सत्यमेव जयते

सप्तदश

बिहार विधान सभा

अष्टम सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-2

मंगलवार, तिथि 09 फाल्गुन, 1944 (श०) / 28 फरवरी, 2023 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 06

(1)	शिक्षा विभाग	-	-	05
(2)	खान एवं भूतत्व विभाग	-	-	01
			कुल योग --	06

दोषियों पर कार्रवाई करना

1. श्री तारकिशोर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-63 कटिहार)--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 8 फरवरी, 2023 के अंक में प्रकाशित शीर्षक ''अवैध खनन कर बंगाल के ईंट भट्टों तक पहुँच रही बिहार से मिट्टी'' को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिम बंगाल राज्य से सटे बिहार के क्षेत्रों से अवैध रूप से मिट्टी खनन कर पश्चिम बंगाल के ईंट भट्ठों तक आपूर्ति की जा रही है ;

(2) क्या यह बात सही है कि इस मिट्टी खनन में सारे मापदंडों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है ;

(3) क्या यह बात सही है कि इस अवैध कारोबार से राज्य सरकार को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इस अवैध कारोबार को रोकने के लिये उचित कदम उठाने एवं दोषियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

दिव्यांग छात्रों के लिये शिक्षकों की बहाली

2. श्री अरूण शंकर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-33 खजौली)--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 3 दिसम्बर, 2022 को प्रकाशित शीर्षक ''दिव्यांग बच्चों के लिये 80 प्रतिशत स्कूलों में विशेष शिक्षक नहीं'' को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों तक तीन लाख से अधिक दिव्यांग छात्र नामांकित है परन्तु स्पेशल शिक्षक (Sign Language अथवा ब्रेल लिपि जानने वाले टीचर) का 80 प्रतिशत पद रिक्त है, जिस कारण दिव्यांग छात्रों का पठन-पाठन बाधित हो रहा है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार कबतक रिक्त पड़े स्पेशल शिक्षक के पदों पर बहाली कर दिव्यांग छात्रों को पठन-पाठन की सुविधा देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शिक्षा व्यवस्था में सुधार

3. श्री संजय सरावगी (क्षेत्र संख्या-83 दरभंगा)--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 19 जनवरी, 2023 को प्रकाशित शीर्षक ''5वीं के 57 प्रतिशत बच्चे नहीं पढ़ सकते दूसरी कक्षा के पाठ'' समाचार को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि एजुकेशन फ़ाउंडेशन रिपोर्ट ''असर'' के अनुसार कक्षा 5वीं के 57 फीसदी बच्चे कक्षा 2 का पाठ नहीं पढ़ सकते और कक्षा 3 के 80 फीसदी बच्चे कक्षा 2 का पाठ नहीं पढ़ सकते है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य में 30.2 फीसदी प्राथमिक विद्यालयों और 35 फीसदी उच्च विद्यालयों के बच्चों के पास पाठ्य पुस्तकें नहीं है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड (1) एवं खंड (2) के स्तर को सुधारना चाहती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

लम्बित भुगतान करना

4. श्री मुकेश कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-27 बाजपट्टी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत वर्ष 2019 में प्रशिक्षित होने वाले शिक्षकों का बकाया वेतन वर्ष 2019 से 2021 तक लम्बित है साथ ही प्रारंभिक शिक्षकों का 15 प्रतिशत वृद्धि वाला बकाया राशि 1 अप्रील, 2021 से मार्च, 2022 तक लम्बित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि शिक्षा विभाग के उप-सचिव के पत्रांक 61, दिनांक 13 सितम्बर, 2022 एवं संयुक्त सचिव के पत्रांक 126, दिनांक 2 जनवरी, 2023 द्वारा बकाया वेतन हेतु 21 अरब 31 करोड़ 43 लाख 18 हजार 158 रुपये व्यय की स्वीकृति एवं विमुक्ति की गयी थी परन्तु उपरोक्त राशि अबतक बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् में अप्राप्त होने के कारण सभी जिलों को नहीं गयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सभी जिलों में राशि उपलब्ध कराने व लम्बित भुगतान करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पुस्तकालय खोलना

5. श्री पवन कुमार जायसवाल (क्षेत्र संख्या-21 ढाका)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में 93459 सरकारी एवं सरकारी सहायकता प्राप्त विद्यालयों में से मात्र 56647 विद्यालय में पुस्तकालय उपलब्ध है । अर्थात् राज्य के मात्र 59 प्रतिशत विद्यालय में पुस्तकालय है, शेष विद्यालय बिना पुस्तकालय के चल रहे है जबकि माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों से पुस्तकालय शुल्क लिया जाता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि विद्यालयों में पुस्तकालय नहीं होने के कारण राज्य/केन्द्र सरकार का पुस्तकालय का फंड नहीं प्राप्त होता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक वंचित विद्यालय में पुस्तकालय खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शिक्षिका के पद पर समायोजन

6. श्री अजय कुमार (क्षेत्र संख्या-138 विभूतिपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में वर्ष 2016 में कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय के कर्मियों को अंशकालिक शिक्षिका के स्वीकृत पद से विभाग द्वारा हटाकर व्यवसायिक अनुदेशिका के पद पर पदस्थापित कर दिया गया है, जबकि भारत सरकार के पत्र संख्या एफ021.7/2006 ई0आठ(पी0टी0), दिनांक 1 फरवरी, 2008 के द्वारा व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिये अलग से कोई पद स्वीकृत नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि दिनांक 27 मई, 2019 को राज्य स्तरीय समीक्षात्मक बैठक में विकास आयुक्त, बिहार, पटना द्वारा कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालयों के कर्मियों को अंशकालिका शिक्षिका के पद पर समायोजन करने हेतु निदेश भी दिया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य में कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालयों के कर्मियों को अंशकालिका शिक्षिका के पद पर समायोजन करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पटना :
दिनांक 28 फरवरी, 2023 (ई0) ।

पवन कुमार पाण्डेय,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

बि0स0मु0, 68(एल0ए0), 2022-23-डी0टी0पी0-550